

2.3

प्रपत्र- 6

परियोजना का नाम- जनपद बागेश्वर में मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या -886/2017 के अन्तर्गत ग्राम खोली में खेल मैदान का निर्माण कार्य।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण पत्र)

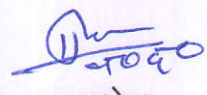
प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 05.12.2019 को प्रश्नगत परियोजना के लिए वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री गुलाब सिंह कौरंगा वन दरोगा, राजस्व विभाग की ओर से श्री रमेश चन्द्र, राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री विनोद सिंह वल्लिया जिला क्रीडा अधिकारी, द्वारा भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु निम्नानुसार वन पंचायत भूमि/नाप भूमि प्रभावित हो रही है।

आरक्षित वन भूमि 0.000 है0, सिविल सोयम वन भूमि 1.280 है0, वन पंचायत भूमि 1.568 है0 एवं 0.000 है0 नाप भूमि प्रभावित हो रही है। परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन पंचायत भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वन पंचायत भूमि की मांग न्यूनतम हैं। परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा सुझाये गये अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया व वर्तमान विकल्प/संरक्षण को सर्वथा उपयुक्त पाया गया। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है।

आवेदित वन पंचायत एवं सिविल सोयम भूमि में 15 वृक्षों व नाप भूमि पर 0 वृक्षों का पातन निहित है जिनकी प्रजातिवार/व्यासवार सूची प्रस्ताव में संलग्न हैं।


उप क्रीडा अधिकारी
(प्रयोक्ता एजेन्सी)


राजस्व उप निरीक्षक
राजस्व विभाग प्रतिनिधि

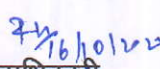

वन दरोगा
वन दरोगा


वन क्षेत्र अधिकारी
बागेश्वर वन क्षेत्र (पुरडा)
(सदस्य)

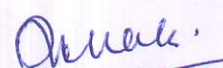

तहसीलदार
बागेश्वर
(सदस्य)


सहायक वन संरक्षक
बागेश्वर वन प्रभाग
(सदस्य)

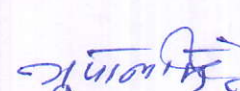

जिला क्रीडा अधिकारी
बागेश्वर


उपजिलाधिकारी
बागेश्वर/अध्यक्ष संयुक्त निरीक्षण
समिति तहसील बागेश्वर

प्रधान/वन पंचायत सरपंच


प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर


प्रधान
ग्राम पंचायत खोली
वि0ख0 एवं जिला बागेश्वर


जिलाधिकारी

जिलाधिकारी